required for metallurgical purposes, produced in Assam and Meghalaya have been exempted from controls on acquisition, despatch and transfer. The exemption will, however, not apply to coal produced in any mines of Coal India Ltd., or any of its subsidiaries even when they are located in these two States. The controls also do not apply to coal produced in private coal mines mean for captive consumption.

Coal Controller, Government of India has been made the authority competent to allot coal. However, in case allotments have not been made or received or the allotments made have been exhausted, or coal cannot be supplied against the pending allotments, then until such time as the allotments are received, the power to distribute coal has been vested in colliery owner or any officer authorised by him in writing in this behalf. These notifications/orders have become effective from 1-7-1992.

The implementation of these notifications/orders will not have any direct impact on profits/losses of coal companies.

कोयला भंडारण गृहों को राज्य सरकारों को सौंपना

3835. **श्री अजीत जोगी :**
श्री छोटूभाई पटेल :

क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन-किन राज्यों में कोयला भंडारण गृह स्थापित किये गए हैं;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों को उक्त गृहों के संचालन की अनुमति प्रदान करने का विचार रखती है;

(ग) यदि हां, तो संबंधित राज्य-सरकारों को यह कार्य कब से सौंपा जाएगा; और

(घ) इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित कुमार पांजा) : (क) कोल इंडिया लि. (को. इं. लि.) द्वारा निम्नलिखित राज्यों में कोयले के स्टाकयार्ड स्थापित किए गए हैं—पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, तमिलनाडु और संघ शासित क्षेत्र, दिल्ली ।

(ख) से (घ) वर्तमान स्टाकयार्ड नीति के अनुसार नए स्टाकयार्डों को स्थापित किए जाने तथा उनका प्रबंधन किए जाने का दायित्व सम्बद्ध राज्य सरकारों का होता है । कोयला कंपनियां इन स्टाकयार्डों को कोयले का प्रेषण राज्य सरकारों द्वारा दिए गए प्रायोजनों के आधार पर किया जाता है । यह राज्य सरकारों पर निर्भर करता है कि वे कोयले के स्टाकयार्डों के लिए आवश्यकताओं का मूल्यांकन स्टाकयार्डों की स्थापना और स्टाकयार्डों को कोयले के संचलन का प्रायोजन किस तरह करती हैं ।

को. इं. लि. ने सभी राज्य सरकारों से पहले ही संपर्क कर लिया है और उनसे स्टाकयार्डों को स्थापित किए जाने की जिम्मेदारी लेने का अनुरोध किया है और यह भी अनुरोध किया है कि उपर्युक्त नीति के अनुसार स्टाकयार्डों का प्रबंधन करें । कर्नाटक तथा उड़ीसा सरकारें अपने-अपने राज्यों में स्टाकयार्डों को स्थापित करने तथा उनका प्रबंधन करने की जिम्मेदारी लेने के लिए पहले ही सहमत हो गए हैं ।

मध्य प्रदेश में घरेलू कोयले की कमी

3836. **श्री अजीत जोगी :**
श्री छोटूभाई पटेल :

क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मध्य प्रदेश में घरेलू कोयले की भारी कमी की जानकारी है;

(ख) मध्य प्रदेश में घरेलू कोयले की वर्तमान मांग की तुलना में आपूर्ति कितनी है तथा वहां कोयले की कम आपूर्ति के क्या कारण हैं; और

(ग) मध्य प्रदेश में कोयले की मांग को पूरा करने हेतु इसकी आपूर्ति में वृद्धि करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित कुमार पांजा) : (क) और (ख) जी, हां । मध्य प्रदेश तथा अन्य राज्यों को साफ्ट कोक की आपूर्ति किए जाने के मामले में कमी रही है । मध्य प्रदेश राज्य के साफ्ट कोक के 4,000 टन के मासिक आवंटन की तुलना में अप्रैल, 1992 से फरवरी, 1993 के दौरान तक मध्य प्रदेश राज्य को तकरीबन 1370 टन (अंतिम) साफ्ट कोक कोयले की आपूर्ति की गई है । मध्य प्रदेश को साफ्ट कोक की आपूर्ति में कमी का कारण यह है कि पिछले कुछ वर्षों से साफ्ट कोक के उत्पादन में गिरावट आई है चूंकि इसके उत्पादन के लिए अपनाई गई प्रक्रिया प्रदूषण के खतरों से मुक्त नहीं है ।

(ग) मध्य प्रदेश राज्य को कोयला आधारित घरेलू ईंधन की आपूर्ति में संवृद्धि किए जाने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं :-

(1) मध्य प्रदेश राज्य को साफ्ट कोक के स्थान पर घरेलू ईंधन के रूप में प्रयोग किए जाने के लिए स्टीम कोयले की पेशकश की गई है ।

(2) कोल इंडिया लि. ने ब्रिकेट्स तथा धुंआरहित ईंधन के निर्माण के लिए मध्य प्रदेश राज्य में ब्रिकेटिंग तथा एस.एस.एफ. इकाइयों के लिए संयोजन दिए हैं । राज्य में घरेलू ईंधन की उपलब्धता में सुधार किए जाने के लिए मध्य प्रदेश राज्य को इन इकाइयों के उत्पादन पर निगरानी रखने का अनुरोध किया गया है ।

(3) कलकत्ता के निकट दानकूनी में एक निम्न तापीय कोयला कार्बनीकरण संयंत्र की स्थापना की गई है, जहां "सिलकोक" का उत्पादन किया जाता है । इसका उष्मा क्षमता साफ्ट कोक की तुलना में कहीं अधिक है तथा घरेलू उपयोग के लिए यह एक उपयोगी ईंधन है । राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि वे अपने राज्यों में घरेलू उपभोग के लिए "सिलकोक" के उपयोग को लोकप्रिय बनाने का प्रयास करें ।

कोयले की रायल्टी की राशि में वृद्धि की मांग

3837. **श्री अजीत जोगी :**
श्री छोटूभाई पटेल :

क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार और अन्य राज्य सरकारें कोयले की रायल्टी की राशि में वृद्धि करने की लगातार मांग कर रही हैं;

(ख) यदि हां, तो कोयले की रायल्टी के मुद्दे को निपटाने में विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ग) उक्त मामले को कब तक निपटा दिया जाएगा ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित कुमार पांजा) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) खान तथा खनिज (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 1957 की धारा 9(3) के परन्तुक के अधीन केन्द्र सरकार को किसी भी खनिज का तीन वर्ष की अवधि के दौरान एक बार से अधिक रायल्टी की दरें बढ़ाने से प्रतिबंधित किया गया है । चूंकि कोयले पर रायल्टी की दरों में पिछली बार संशोधन 1-8-1991 को किया गया था, अतः कोयले की रायल्टी पर अगला संशोधन 1-8-1994 के पश्चात ही किया जा सकता है ।

High tech imaging technique for quality control of coal

3838. SMT. KAMLA SINHA : Will the Minister of COAL be pleased to state :

(a) whether Government are aware that National Centre of Knowledge-Based